<u>शोध संक्षेपिका</u>

"उज्ज्वला योजना का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभावः लखनऊ जिले के चयनित पंचायतों का एक अध्ययन "

प्रस्तुत शोध अध्ययन ग्रामीण महिलाओं से संबन्धित है। इस अध्ययन का उद्देश्य प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्रामीण महिलाओं पर प्रभावः को जानना है। **डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार, "किसी समाज की महिलाओं की प्रगति पर ही उस समाज की प्रगति का अंदाजा लगाया जाता है अपना समाज तो अभी प्रगति पथ पर है"** वर्तमान 21 वीं शताब्दी में भी समाज की आधी आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी समाज की मुख्य धारा में नही आ पाया हैं। आजादी के 70 वर्षों बाद भारत में आज भी लगभग 12.1 करोड़ परिवार अब भी मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाते हैं। भारत में लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या को भोजन बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध नहीं है। हमारे देश में आज भी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों तथा कस्बों की तुलना में बहुत कम L.P.G. (Liquefied Petroleum Gas) कनेक्शन उपलब्ध है। अधिकतर ग्रामीण परिवार प्रमुखतः गरीब परिवारों में भोजन बनाने के लिए गोबर, उपले, लकड़ी तथा कृषि अवशिष्ट का प्रयोग किया जाता है, जिससे निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट(WHO 2009) के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष 5 लाख मृत्यु घरेलू वायु प्रदूषण के कारण होती हैं।

भारत सरकार द्वारा देश की महिलाओं के विकास तथा स्वास्थ्य,पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ उन्हें स्वस्थ तथा स्वालम्बनपूर्ण जीवन प्रदान करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारम्भ 01 मई, 2016 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले से किया गया था इस योजना के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में L.P.G. (Liquefied Petroleum Gas) के समान वितरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को निःशुल्क स्वच्छ L.P.G. (Liquefied Petroleum Gas) ईंधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

अध्ययन का तर्काधार

एक विकसित राष्ट्र उसके सबल नागरिकों से अस्तित्व ग्रहण करता है। किसी भी राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। अगर नारी स्वस्थ तथा सशक्त हो तो उस देश का भविष्य (बच्चे) उन्नत होगा। भारत जैसे देश विकासशील देश में जहां देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बिना देश का विकास सम्भव नहीं है।

प्राचीन काल से ही इलाकों में महिलायें चूल्हे पर भोजन बनाती आई हैं। आज की तारीख में 10 करोड़ से ज्यादा घर आज भी भोजन बनाने के लिए ईंधन के रूप में कोयले, लकड़ी, गोबर के उपले इत्यादि का प्रयोग करती है। जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में धुआं निकलता है जो कि वातावरण को बहुत अधिक प्रदूषित करता है। जिससे महिलाओं तथा बच्चों को स्वास्थ संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पडता हैं प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बिना देश का विकास सम्भव नहीं है।

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाईजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 5 लाख मृत्यु सिर्फ अशुद्ध ईंधन के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले रोगों से हुई है। कम उम्र के लोगों की मृत्यु भी इसमें शामिल है। जिसके अन्तर्गत हृदय सम्बंधित स्ट्रोक आदि बड़े कारण हैं। इस योजना की सहायता से इन समस्याओं का निवारण होगा।

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाईजेशन की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक महिला भोजन बनाते समय प्रत्येक घण्टे में 400 सिगरेट के बराबर धुएं का प्रभाव पड़ता है। जिससे उनकी आंखों में जलन तथा श्वसन संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी भी देश को विकास के पथ पर प्रगतिशील होने के लिए उस देश के ग्रामीण क्षेत्र तथा परिवारों का कल्याण किया जाये तथा देश के सभी नागरिकों को न्यूनतम आवश्यक संसाधन प्रदान किये जाये ।इन सभी समस्याओं से महिलाओं को मुक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ किया गया हैं। अतः शोधकर्ता उपरोक्त योजना का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभाव का विश्लेषण करना चाहती हैं जिसके माध्यम से यह पता लगाना चाहती हैं कि क्या उज्ज्वला योजना के कारण ग्रामीण महिलाओं को उपरोक्त समस्याओं से मुक्ति मिली हैं या इन समस्याओं की तीव्रता में कमी आई हैं।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन ग्रामीण महिलाओं पर उज्ज्वला योजना के प्रभाव पर आधारित है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है।

- प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य उज्ज्वला योजना के विभिन्न पहलुओं यथा कारण, उद्देश्य आवश्यकता, लाभार्थियों की पात्रता आदि की व्याख्या करना।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य चयनित पंचायतों की लाभार्थी ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक –आर्थिक पृष्ठभूमि को जानना हैं।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य चयनित पंचायतों की लाभार्थी ग्रामीण महिलाओं पर उज्ज्वला योजना के प्रभाव का विश्लेषण करना हैं।

शोध परिकल्पना

अनुसंधान कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व अनुसंधान के सम्बध में जो कल्पना की जाती हैं। उसी को परिकल्पना कहते है। परिकल्पना की सहायता से हम जीवन के अपरिचित क्षेत्र में प्रवेश करते है।

- उज्ज्वला योजना मुख्य रूप से लभार्थियों के स्वास्थ्य– सुरक्षा एंव सशक्तीकरण पर केन्द्रित हैं।
- चयनित पंचायतों की लाभार्थी ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक –आर्थिक पृष्ठभूमि निम्न हैं।
- चयनित पंचायतों की लाभार्थी ग्रामीण महिलाओं के व्यक्गित, पारिवारिक एंव सामाजिक –आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव हुआ हैं।

अध्ययन का क्षेत्र

प्रस्तावित शोध अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र के रूप में लखनऊ जिले को चुना गया है। इसके अन्तर्गत लखनऊ जिले के काकोरी ब्लॉक की सरोसा–भरोसा तथा सलेमपुर पंचायतों को अध्ययन क्षेत्र लिए चयनित किया गया है। काकोरी ,उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले का एक ब्लाक है। जो कि लखनऊ मुख्यालय से 17 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत 50 पंचायतें आती है। सरोसा –भरोसा तथा सलेमपुर इन्ही 50

पंचायतें में से है। सरोसा –भरोसा तथा सलेमपुर दोनो ही बडें गॉव है। सरोसा –भरोसा पंचायत की कुल जनसंख्या 5,585 है।जिनमें से 2,468 महिलायें है।तथा इस पंचायत कुल साक्षरता दर 72.74 प्रतिशत् हैं।जिनमें से महिलाओं की साक्षरता दर 62.51 प्रतिशत् है।एवं सलेमपुर पतौरा की कुल जनसंख्या 5,992 है।जिसमें 2,865 महिलायें हैं। इस पंचायत की कुल साक्षरता दर 67.63 प्रतिशत् हैं।जिनमें से महिलाओं की साक्षरता दर 60.43 प्रतिशत् हैं।(जनगणना 2011)

शोध प्रविधि

प्रस्तावित शोध अध्ययन व्याख्यात्मक शोध प्रविधि पर आधारित हैं। इसमें काकोरी ब्लॉक के सरोसा–भरोसा तथा सलेमपुर पंचायतो का चयन सुविधापूर्ण निदर्शन द्वारा चयनित किया गया है। उपरोक्त पंचायतों से उज्ज्वला योजना के तहत LPG प्राप्त समस्त आवण्टनकर्ताओं का चयन किया गया है।। तथा आकड़ों के संग्रहण के लिए दैव–निदर्शन प्रविधि का प्रयोग किया जायेगा एवं आंकड़ों का विश्लेषण SPSS द्वारा किया गया हैं।

प्रस्तावित शोध अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतों के रूप में सरकारी/गैर सरकारी प्रतिवेदनों सर्वेक्षण के आंकड़े, प्रतिवेदन, शोध पत्र, शोध आलेख या शोध विषय से संबंधित सामग्री का प्रयोग किया गया हैं। जबकि प्राथमिक स्रोत के रूप में अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं से शोध विषय से संबंधित सूचना प्राप्त कर संकलित सूचनाओं को विश्लेषित किया गया हैं।

तथ्य संकलन के उपकरण

प्रस्तुत शोध में तथ्यों कें संकलन के लिये सर्वेक्षण तथा अवलोकन विधियों का प्रयोग किया गया है।तथा आकडों **के संकलन हेतु अर्ध संरचित** साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। जिसमें उज्ज्वला प्राप्त ग्रामीण महिला लाभार्थीयों **के जीवन पर** योजना के प्रभाव से सम्बंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया हैं। प्रस्तुत अध्ययन में शोध उपकरण के रूप में साक्षात्कार **अनुसूची** के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के साक्षात्कार द्वारा अध्ययन विषय से सम्बंधित **सूचनाये संकलित करने का प्रयास** किया गया है। साक्षत्कार **अनुसूची** का निर्माण इस प्रकार किया गया है।जिससे शोध अध्ययन से संबधित उपकल्पनाओं की अच्छी तरहसे जाचॅ सम्भव हो सके। लाभार्थी ग्रामीण महिलाओं से साक्षात्कार के समय वांछित तथ्यों के साथ –साथ सामाजिक जीवन, आर्थिक संरचना,

पारिवारिक संरचना आदि संबधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त की गयी है। इस अध्ययन के दौरान शोधकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से लखनऊ जिले की चयनित पंचायतो के उज्ज्वला योजना प्राप्त लाभार्थीयों से मिलकर वांछित सूचनाओं एंव तथ्यों का संकलन किया गया हैं।

संकलित आंकडों का सम्पादन,वर्गीकरण एंव व्याख्या की प्रविधि

प्रस्तावित शोध अध्ययन में उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचना को संकलित कर संपादन प्रक्रिया के माध्यम से यह ज्ञात किया जायेगा कि समस्त सूचना संकलित कर ली गई है। संकलित एवं सम्पादित सूचना का वर्गीकरण कर के इन्हें सूचीबद्ध किया जायेगा, समस्त संकलित सूचना का वर्गीकरण एवं तालिकाबद्ध करने के पश्चात् इसका विश्लेषण सांख्यकीय व तार्किक आधार पर किया जायेगा। आंकड़ों के सांखकीय विश्लेषण करने के लिए (SPSS) का प्रयोग किया जायेगा। आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर विवरणात्मक रूप से प्रतिवेदन आलेख तथा अध्ययन की प्राप्तियों के आधार पर उपयोगी सुझावों को भी प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रस्तुत शोध के व्यवास्थित व विस्तृत प्रस्तुतिकरण के लिये इसको 6 अध्यायो में विभाजित किया गया हैं।

प्रथम अध्याय में प्रस्तावना तथा ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति का सिहांवलोकनकिया गया है। जिसके अंर्तगत भारत में ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति, लखनऊ और चयनित पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थितिके विषय में बताया गया हैं। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अध्ययन का तर्काधार एंवम् उज्ज्वला योजना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अध्ययन की शोध प्रविधि, उद्‌देश्य, प्राक्कल्पना आदि का उल्लेख किया हैं।

द्वितीय अध्याय में विषय से सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य की समीक्षा एंव अवधारणात्मक पृष्ठभूमि उल्लेखित की गयी है।

तृतीय अध्याय में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का परिचयात्मक विवरण ,योजना की आवश्यकता, उद्‌देश्य लाभ एंव वित्तीय सहायता,पात्रता, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के आवेदन की प्रक्रिया तथा उसकी कार्यप्रणाली के विषय में वर्णन करने के साथ –साथ

भारत में वर्तमान समय में महिलाओं की शैक्षिक,सामजिक आर्थिक तथा राजनैतिक प्रस्थिति एवम् भारत में एल .पी.जी की आधार व पृष्ठभूमि तथा वर्तमान समय में उज्ज्वला योजना वितरण की स्थिति का विश्लेषण किया गया हैं।

चतुर्थ अध्याय में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी ग्रामीण महिलाओं से प्राप्त आकडों का आनुभविक विश्लेषण एवं व्याख्या प्रस्तुत की गयी हैं।

पंचम अध्याय में लखनऊ जिले के चयनित पंचायतों की उज्ज्वला योजना से लाभान्वित कुछ महिलाओं (मंगला जी तथा नफीसा जहॉ) का वैयक्तिक अध्ययन किया गया है।

पष्ठम् अध्याय में चतुर्थ अध्याय जो कि आकडों के विश्लेषण पर आधारित है में जो तथ्य सामने आये है उनके आधार पर निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत किये गये है।

उपकल्पना परिक्षण, निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत शोध समस्या हेतु तीन उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया था। अध्याय चतुर्थ जो कि आंकडों के विश्लेषण पर आधरित है में जो तथ्य सामने आये हैं।वे परिकल्पना के सत्यापन की पुष्टि करते हैं। जो निम्न लिखित हैं–

शोध की प्रथम उपकल्पना थी कि **उज्ज्वला योजना मुख्य रूप से लाभार्थियों के स्वास्थ्य–सुरक्षा एंव सशक्तीकरण पर केन्द्रित हैं।**

ग्रामीण लाभार्थी महिलाओं के उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले (एल.पी.जी)स्वच्छ ईधन के प्रयोग से स्वास्थ्य को लाभ संबधी तालिका के अध्ययन से यह स्पष्ट होता हैं। 126 (98. 43 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया हैं।कि उनके द्वारा स्वच्छ ईधन(एल.पी.जी) के प्रयोग से स्वस्थ्य को लाभ हुआ है तथा 1 (.78 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं बताया हैं। कि (एल.पी.जी)स्वच्छ ईधन के प्रयोग से स्वास्थ्य को लाभ के विषय में स्पष्ट रूप से पता नही है। एवम् केवल 1(.78 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलायें ने स्वच्छ ईधन के प्रयोग से स्वास्थ्य को लाभ के विषय में बताना नही चाहती हैं। जिससे स्पष्ट होता है।कि चयनित पंचायतों की लाभार्थी महिलाओं के स्वास्थ्य में लाभ की पुष्टि होती है।

उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के गैस (एल.पी.जी) के प्रयोग के कारण जलावन(लकडी,उपलें,सूखी पत्तियॉ) के लिये घर से बाहर न जाने कारण सुरक्षित अनुभव करने वाले तालिका से स्पष्ट है। कि 98 (76.56 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी

महिलाओं बताया कि स्वच्छ ईधन के प्रयोग से जलावन(लकडी,उपलें,सूखी पत्तियॉ) के लिये घर से बाहर न जाने के कारण वे अपने आप को सुरक्षित अनुभव करती है। जबकि 3 (2.34 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि स्वच्छ ईधन के प्रयोग के कारण जलावन(लकडी,उपलें,सूखी पत्तियॉ) के लिये घर से बाहर नही जाना पडता है। फिर भी वे अपने आप को सुरक्षित अनुभव नही करती है। वही दूसरी ओर 27 (21.09 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलायें अपने सुरक्षा सबंधी अनुभव के विषय में बात नही करना चाहती है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट है। कि अध्ययन क्षेत्र की अधिकाशः महिलायें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। जबकि कुछ महिलाओं अपने सुरक्षा संबधी अनुभव बताना नहीं चाहती हैं। इसका कारण उनकी पारिवारिक व्यक्तिगत समस्यायें हो सकती है। एवम् कुछ लाभार्थी महिलाओं के अनुसार केवल जलावन के लिये बाहर न जाने के कारण ही महिलायें सुरक्षित नही हो सकती बल्कि और भी कई कारण हैं जिसके कारण महिलायें अपनें आप को सुरक्षित अनुभव नही करती है।

अतः चयनित पंचायतों की उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलायें स्वास्थ्य लाभ तथा सुरक्षा संबधी आंकडों के विश्लेषण से स्पष्ट है। कि चयनित पंचायतों की उज्ज्वला योजना, महिलाओं के स्वास्थ्य व सुरक्षा एवम् सशाक्तीकरण पर केन्द्रित है। अतः परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है।

शोध की द्वितीय उपकल्पना थी कि **चयनित पंचायतों की लाभार्थी ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि निम्न है।**

लाभार्थी महिलाओं की शैक्षिक स्थिति संबधी तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है। कि 97 (75.78 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि वे निरक्षर है। अर्थात पढी–लिखी नही हैं। जबकि 24 (18.75 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि वे साक्षर है।और मात्र 4(3.12 प्रतिशत्) महिलायें हाईस्कूल तक पढी है। अतः स्पष्ट हैं कि अधिकाश उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलायें अनपढ है। जो साक्षर है। वे केवल अपना नाम लिखना या थोंडा बहुत पढना–लिखना जानती है। जो महिला लाभर्थी स्नातक है। वो (18–28) आयु वर्ग की है।

महिलायें की व्यावसायिक स्थिति का वर्गीकरण संबधी तालिका के अध्ययन से पता चलता है। कि 110 (85.93 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि वे

गृहणी है। जबकि 8(6.25 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलायें अन्य कार्य जैसे कढाई –बुनाई, मजदूरी करती है, 6(4.68 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि वे व्यवसाय करती है केवल 4(3.12 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलायें नौकरी करती है।

अतः स्पष्ट है।कि अधिकाशः उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलायें गृहणी है,जो लाभार्थी महिलायें व्यवसाय करती हैं उनके व्यवसाय छोटे स्तर के है,तथा अन्य कार्यो में लगी महिलायें मजदूरी या घर पर ही कढाई बुनाई का कार्य करती है।

लाभार्थी के परिवार की मासिक आय सम्बधी तालिका का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि 96 (75 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के परिवारों की मासिक आय 5 से 10 हजार के बीच है,तथा 15(11.7 प्रतिशत् 1) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के परिवारों की मासिक आय 1 से 5 हजार है।जबकि 15(11.71 प्रतिशत्) लाभार्थी महिलाओं के परिवारों की मासिक आय 10 से 15 हजार के बीच है मात्र 2(1.56 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के परिवारों की मासिक आय 15 से 20 हजार है। **अतः विश्लेषण से स्पष्ट होता है। कि अधिकाशः उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं की पारिवारिक मासिक आय निम्न है।**

उज्ज्वला योजना लाभार्थीयों की जाति श्रेणी का **विश्लेषण करने से स्पष्ट** होता है। कि सबसे अधिक संख्या 104(81.25 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बमाया कि वे अनुसूचित जाति की हैं।तथा 21(16.40 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलायें पिछडा वर्ग की है। तथा 3(2.34 प्रतिशत्) लाभार्थी महिलायें सामान्य वर्ग की है। अतः स्पष्ट है।कि चयनित पंचायतों की उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि निम्न है। अतः परिकल्पना सत्य सिद्व होती है।

तृतीय शोध उपकल्पना **चयनित पंचायतों की उज्ज्वला योजना की लाभार्थी ग्रामीण महिलाओं के व्यक्तिगत एंव सामाजिक,आर्थिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया हैं।**

अध्ययन में तथ्यों के **विश्लेषण करने से स्पष्ट** होता है।कि चयनित पंचायतों की 98.43 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के अनुसार उनके व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। 67.18 प्रतिशत् महिलाओं के अनुसार गैस पर भोजन बनाने से बचे समय को उत्पादक कार्यो में लगाकर अब वे पहले से अधिक धन कमा लेती है,तथा

वे सामाजिक कार्यो में सक्रिय भागीदारी कर पाने के कारण उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया हैं।

अतः चयनित पंचायतों की उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के गुणात्मक विश्लेषण से स्पष्ट है। अतः उपकल्पना सत्य सिद्ध होती है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध अध्ययन वर्तमान समय में उज्ज्वला योजना का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभाव से सम्बन्धित है। यह अध्ययन लखनऊ जिले की चयनित पंचायतों की उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के अध्ययन पर आधारित है। चयनित पंचायतों से प्राप्त आकडों के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है।

अध्ययन क्षेत्र की 37 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना लाभार्थी की आयु 38–48 के बीच है। एवं चयनित पंचायतों की 75.78 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी निरक्षर है और मात्र 1. 56 प्रतिशत् लाभार्थी स्नातक स्तर तक पढी लिखी है। चयनित पंचायतों की लगभग 96 प्रतिशत् महिलाये विवाहित है तथा 85.93 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना लाभार्थी गृहणी है। केवल 3.12 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाये नौकरी करती है एवं लगभग 74 प्रतिशत् लाभार्थी एकांकी परिवार में रहती है एवं लगभग 50 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के परिवार में 5 से अधिक सदस्य है। और 75 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के परिवार की मासिक आय 5 से 10 हजार है। तथा केवल 1.56 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी ऐसी है। जिनके परिवार की मासिक आय 15 से 20 हजार रुपये है चयनित पंचायतों की उज्ज्वला योजना लाभार्थियों में सर्वाधिक प्रतिशत् (81.25 प्रतिशत्) अनुसूचित जाति की महिलाओं का है। अध्ययन क्षेत्र की लगभग 40 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि वे उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों के विषय में पूर्ण जानकारी रखती है। तथा 46 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना लाभार्थियों ने बताया है कि वे उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों के विषय में आंशिक अर्थात् थोडी–बहुत जानकारी रखती है।

चयनित पंचायतों की उज्ज्वला योजना की सभी (100 प्रतिशत्) लाभार्थी महिलाओं के घर में इस योजना के पूर्ण भोजन बनाने का स्त्रोत चूल्हा था एवं लगभग 93 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना लाभार्थियों ने बताया कि उनको भोजन बनाते समय क्या–क्या सुरक्षा उपायो को

अपनाना चाहिए। उनको इसके विषय में पता है। अध्ययन क्षेत्र की 75 प्रतिशत् महिलाओं ने बनाया है कि वे प्रतिदिन भोजन बनाने में उज्ज्वला योजना से प्राप्त एल.पी.जी. गैस का उपयोग करती है। परन्तु अध्ययन क्षेत्र में पाया गया कि उज्ज्वला योजना लाभार्थी गैस पर एक समय भोजन बनाती है। चयनित पंचायतों की 67.8 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि इस योजना के कारण उनके जीवनस्तर में उनकी अपेक्षा के अनुसार सुधार हुआ है। अध्ययन क्षेत्र की 128 (100 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि उज्ज्वला योजना से पूर्व उनका जीवन ज्यादा संघर्षपूर्ण था। सभी (100 प्रतिशत्) उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि एल.पी. जी. के द्वारा भोजन बनाने से उनके समय की बचत होती है। अध्ययन क्षेत्र की 35 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाए भोजन बनाने से बचे समय का उपयोग अपने परिवार व बच्चों के साथ अधिक समय बिताकर करती है। तथा 21.87 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाए एल.पी.जी. के द्वारा भोजन बनाने से बचे समय का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करती है।

चयनित पंचायतों की लगभग 77 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने अपने सुरक्षा सम्बन्धी अनुभव के विषय में बताया कि वे गैस पर भोजन बनाने के कारण अब उनको जलावन (लकडियां, उपले, सूखी पत्तियां आदि) लेने के लिये घर से बाहर न जाने के कारण वो अपने आप को सुरक्षित अनुभव करती है। उज्ज्वला योजना की सभी लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि चूल्हे की अपेक्षा भोजन बनाने में गैस अधिक सुविधाजनक है। चयनित पंचायतों की 62.5 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि एल.पी.जी. गैस भरवाने के लिये पैसो के प्रबन्धन में उन्हें परेशानी होती है। तथा 37.5 उज्ज्वला योजना की सभी लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि उन्हें एल.पी.जी. गैस भरवाने के लिये पैसो के प्रबन्धन में परेशानी नही होती है। चयनित पंचायतों की लगभग 98.43 उज्ज्वला योजना की सभी लाभार्थी महिलाओं के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग किया है।

उपरोक्त आकडों के विश्लेषण के आधार पर पता चलता है। कि चयनित पंचायतों की अधिकतर उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलायें निरक्षर है। एवं अनुसूचित जाति की है। अधिकतर उज्ज्वला योजना लाभार्थियो की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठ भूमि निम्न स्तर की है। एवं उज्ज्वला योजना सभी 128 प्रतिशत् उज्ज्वला योजना लाभार्थियो के घर में भोजन

बनाने का स्त्रोत चूल्हा था। तथा अधिकांश उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को गैस पर भोजन बनाने के कारण स्वास्थ्य को लाभ पहुॅचा है। तथा अधिकांश उज्ज्वला योजना लाभार्थियों का जीवन सरल व बेहतर हुआ है।

सुझाव

उपरोक्त अध्ययन एवम् निष्कर्ष के आधार पर कुछ सुझाव दिये जा सकते है

1. भारत सरकार को उन उज्ज्वला योजना लाभार्थी जो अभी भी चूल्हें पर भोजन बनाती है। उनके लिये जागरूकता अभियान चलाने चाहिये ।
2. चूल्हें पर भोजन बनाने के कारण शरीर को होने वाले नुकसान के विषय में बताना, जिससे वे अधिक से अधिक गैस (एल.पी.जी.) के प्रयोग के प्रतिजागरूक हो सके।
3. सरकार को योजना की लाभार्थियों को गैस कुछ सस्ती दामों पर उपलब्ध कराना चाहिये ।
4. जिससे कि वे एल.पी.जी. के प्रयोग से अपने पर अधिक आर्थिक भार न महसूस करें। अधिकतर उज्ज्वला योजना लाभार्थी निम्न आर्थिक वाले व सामान्य आर्थिक स्थिति वाले ग्रामीण क्षेत्र के परिवार है। जिनके लिये प्रत्येक महीने 700 से 800 रुपये का सिलेण्डर भरवाना बहुत अधिक आर्थिक बोझ है।
5. इस लिये सरकार को इनके लिये सिलेण्डर की कीमत को कम किया जाना चाहिये जिससे कि वो इसे खुशी–खुशी बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के इस व्यावस्था को अपना सके।
6. लाभार्थी महिलाओं को एल.पी.जी के प्रयोग के द्वारा भोजन बनाते समय सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूकता